EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (ii)

Appearing on Page No. 3171

Dated 28-6-2008

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2008

का.आ. 1516.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंडा उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 1997 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अंडा उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) संशोधन नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अंडा उत्पादों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 1997 के नियम 6.2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :–

"6.2–प्रसंस्करणकर्ता या निर्यातक द्वारा मानीटरिंग फीस का संदाय पोत पर्यन्त निःशुल्क (एफ.ओ.बी.) मूल्य के 0.20 % की दर से उस निर्यात निरीक्षण अभिकरण को किया जाएगा जो प्रति वर्ष अधिकतम 15 लाख रुपए प्रति निर्यातक होगा।"

टिप्पण : निर्यातक द्वारा प्रति परेषण संदेय मानीटरिंग फीस की राशि को निकटतम रुपए तक पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए जहां ऐसी राशि का भाग पैसे में है, तब यदि वह भाग पचास पैसे या अधिक है तो उसे बढ़ा कर एक रुपए में कर दिया जाएगा और यदि प्रत्येक भाग पचास पैसे से कम है तो, उसे गणना में नहीं लिया जाएगा।

[फाईल सं. 2/38/2007–ईआई एंड ईपी (II)]

किरण पुरी, निदेशक

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग –2, खंड–3, उपखंड–(ii) तारीख 4 अगस्त, 1997 में का.आ. 2078(अ) तारीख 4 अगस्त, 1997 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती संशोधन का.आ. 1443(अ) तारीख 19–12–2003 तथा का.आ. 721 तारीख 25–2–2005 द्वारा किए गए।

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2008

S.O. 1516.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Egg Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 1997, namely :—

1. (1) These rules may be called the Export of Egg Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Amendment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Egg Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 1997, for rule 6.2 the following rule shall be substituted, namely :—

"6.2—A monitoring fee @ 0.20% of free on board (F.O.B.) value shall be paid by the processor or the exporter to the concerned Export Inspection Agency with a maximum of Rs.15 lakhs per annum per exporter or processor.

Note : The amount of monitoring fee for each consignment payable by the exporter shall be rounded off to the nearest rupee and for this purpose, where such amount contains a part of a rupee consisting of paise, then, if such part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee and if each part is less than fifty paise, it shall be ignored."

[F. No. 2/38/2007-EI & EP (II)]

KIRAN PURI, Director

Foot Note : The Principal rules were published *vide* S.O. 2078 dated 4th August, 1997 in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated 4th August, 1997 and subsequently amended by S.O. 1443(E) dated 19-12-2003 and S.O. 721 dated 25-2-2007.

MGIPRRND—2454 Commerce/2008–100 Copies.